

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 233/2025

1. राजसिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. गुरसेवक सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-वादीगण

बनाम

1. वीरपाल कौर पुत्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
  2. स्वर्णजीत कौर पुत्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- सीतो कौर पत्नी गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)  
तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :-

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिवंल अभिभाषक वादीगण व श्री परविन्द्र सिंह अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादीगण स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि तहसील संगरिया के चक नं. 13 एम.के.एस. के खाता सख्या 164/33 अन्तिम चौसाला आधार संवत 2070-2073 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी के संयुक्त खाता गुरसेवक सिंह आदि में दर्ज 0.0380 है. नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के हक व हिस्सा 1/5 हिस्सा प्रत्येक कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।  
आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।  
निज......निल......मुक्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...को अदा करें।  
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं गुहर अदालत से आज दिनांक 23.6.2025 को जारी किया गया।

( जय कौशिक )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
राजस्थान